International Journal of Research in Hindi
www.hindijournal.in
ISSN: 2582-3493
Received: 25-02-2025, Accepted: 26-03-2025, Published: 10-04-2025
Volume 7, Issue 1, 2025, Page No. 8-10

डॉ. राममनोहर लोहिया और 'अंग्रेज़ी हटाओ' आन्दोलन

रजनीश कुमार
शोधार्थी, हिन्दी विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार, भारत

सारांश
डॉ. राममनोहर लोहिया भारतीय राजनीति में एक समाजवादी नेता के रूप में प्रसिद्द हैं। इसके अलावा लोहिया का नाम हिन्दी–आन्दोलन के सन्दर्भ में भी लिया जाता है। इसके पीछे कारण है इनके द्वारा राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी भाषा का प्रबल समर्थन। इस सन्दर्भ में ये 'अंग्रेज़ी हटाओ' आन्दोलन के अगुआ के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्द हैं। लोहिया ने अपनी इस मान्यता के आधार पर कि अंग्रेज़ी भाषा सिर्फ हिन्दी ही नहीं बल्कि अन्य सभी भारतीय भाषाओं का गला घोंटने का काम करेगी और इस भाषा के व्यवहार के कारण इस देश में समानता और एकता स्थापित करने में भारी बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा, लोहिया ने अंग्रेज़ी भाषा में छुपे सामंती और भेदकारी चरित्र को भी इस देश के विकास और इसकी समृद्धि में बाधास्वरूप देखा। यही कारण है कि लोहिया ने राष्ट्रीय स्तर पर 'अंग्रेज़ी हटाओ' आन्दोलन को चलाया और सभी का इस भाषा के व्यवहार के नकारात्मक प्रभावों की ओर ध्यान दिलाया। इसके साथ–साथ लोहिया बराबर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के व्यवहार और इसके विकास की वकालत करते रहे।

मूल शब्दः डॉ. राममनोहर लोहिया, हिन्दी, अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी हटाओ, आन्दोलन, राष्ट्रभाषा, राजभाषा।

डॉ. राममनोहर लोहिया का नाम जब भी हमारे सामने आता है तब हमारे विचार में समाजवाद, समाजवादी राजनीति और समाजवादी विचारधारा एवं सामाजिक न्याय जैसी शब्दावलियाँ स्वभावतः ही विचरने लगती हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि डॉ. लोहिया प्रधानतः एक नेता और राजनीतिक विचारक के रूप में लोकप्रिय हैं। भारत में जब भी समाजवादी राजनीति, समाजवादी विचारधारा एवं सामाजिक न्याय आदि की बात की जाती है तब इनका नाम स्वभावतः ही सामने आ जाता है। ये भारतीय राजनीति में एक अलग अध्याय जोड़ने के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक रूप से सबसे विख्यात प्रदेश उत्तर प्रदेश में जन्मे डॉ. लोहिया ने अभावों और संघर्षों के साथ अपनी शिक्षा–दीक्षा को जारी रखा और इसके साथ–साथ उपनिवेशी सत्ता के दौरान भारत में चल रहे स्वतंत्रता–आन्दोलन में भी भाग लिया। इनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी और उसकी विचारधारा के साथ शुरू होता है लेकिन समय के साथ ये इस लीक को छोड़ कर सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा का झंडा थाम लेते हैं।

इन सब के अतिरिक्त, डॉ. राममनोहर लोहिया ने सड़क से लेकर संसद तक समाज के वंचित तबकों के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। संसद के भीतर हमें लोहिया का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इन्होंने भारतीय राजनीति में यह दिखाया कि कैसे एक जिम्मेवार और संवेदनशील प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई जाती है। इन्होंने भारत की संसदीय प्रणाली और परम्परा में एक जागरूक, जिम्मेवार और आलोचनात्मक प्रतिपक्ष के चरित्र को भी स्थापित करने का काम किया। लोहिया इस सन्दर्भ में आक्रामक और बेबाक चरित्र के लिए जाने जाते हैं। यह अपने तेवर और शैली से बड़े–बड़े नेताओं को जवाबदेह बनाने के लिए जाने जाते थे। इस बेबाकी और आक्रामकता का साक्षात्कार हमें लोहिया के जीवनकाल के एक और कार्य–क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है जिसकी चर्चा उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। डॉ. राममनोहर लोहिया राष्ट्रभाषा, राजभाषा और पठन–पाठन की भाषा के रूप में हिन्दी के व्यवहार को लेकर अपनी पक्षधरता को लेकर भी जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में इनका अवदान उल्लेखनीय है। इनका यह अवदान हिन्दी भाषा और साहित्य में उल्लेखनीय माना जाता है। भारत में जब भी भाषा–समस्या और उसके सन्दर्भ में हिन्दी आन्दोलन की बात होती है तब, मदनमोहन मालवीय, महात्मा गाँधी, सेठ गोविन्ददास, गोविंदबल्लभ पन्त, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन के साथ–साथ लोहिया का भी नाम अवश्य लिया जाता है।

लोहिया स्वतंत्रता–प्राप्ति के उतरार्द्ध में राजनीतिक जीवन में प्रवेश करते हैं। यह समय हिन्दी आन्दोलन की तीव्रता का समय होता है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार–प्रसार तेज़ी से चल रहा होता है। हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों के साथ–साथ गैर–हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों की तरफ से हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने की बात जोर–शोर से उठाई जाने लगती है। इस समय हिन्दी के प्रचार–प्रसार के काम में नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाएं अपना उल्लेखनीय कार्य कर रही होती हैं। लोहिया के मानस पर भी हिन्दी–आन्दोलन की छाप पड़ती है। इसके अलावा जब ये अपनी पी.एच.डी की पढ़ाई के लिए जर्मनी जाते हैं तो वहाँ भी वे मातृभाषा के महत्त्व आदि को वैज्ञानिक ढंग से समझते हैं और पुनः जब भारत आते हैं तो हिन्दी के समर्थन को लेकर और भी दृढ हो जाते हैं।

इस सन्दर्भ में हमें लोहिया के दो पक्ष देखने को मिलते हैं– उनका एक पक्ष तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिन्दी के समर्थन को लेकर है तथा दूसरा पक्ष हिन्दी का गला घोंटने के लिए तत्पर अंग्रेज़ी भाषा और इसके समर्थकों के तीव्र और आक्रामक विरोध को लेकर है। लोहिया के पहले पक्ष को लेकर तो थोड़ी बहुत बात हो भी जाती है लेकिन इनके दूसरे पक्ष को लेकर बहुत ही कम चर्चा होती है। अन्य हिन्दी समर्थकों की तरह लोहिया को भी इस बात का अंदाजा लग गया था कि अंग्रेज़ी भाषा ही हिन्दी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है और यही अंग्रेज़ी भाषा भारत और भारतीयों के एकीकरण में एक बड़ी बाधा का काम करेगी। यही कारण है कि लोहिया अपनी दूरगामी सोच का परिचय देते हुए 'अंग्रेज़ी हटाओ' का एक व्यापक आन्दोलन चलाते हैं। भारत में भाषा–आन्दोलन के सन्दर्भ में यह घटना अपने आप में एक व्यापक महत्त्व रखती है। लोहिया के 'अंग्रेज़ी हटाओ' आन्दोलन की चर्चा हिन्दी अकादमिया के लेखकों के बीच बहुत ही कम हुई है। बहुत कम लेखकों ने इस पर बात की है। प्रभाकर क्षोत्रिय लोहिया द्वारा चलाए गए इस आन्दोलन के बारे में लिखते हैं कि "इतिहास और संस्कृति के मर्मज्ञ डॉ. राममनोहर लोहिया ने बहुत सही आन्दोलन चलाया था– 'अंग्रेज़ी हटाओ'।

इस बारे में उन्होंने बुजुर्गी सलाह को नज़र अंदाज कर दिया था कि 'हिन्दी को समर्थ बनाइए, नाहक अंग्रेज़ी का विरोध क्यों करते हैं? लोहिया जानते थे कि इस दिखावटी अहिंसक सलाह के निहितार्थ क्या हैं? वास्तव में किसी भी विदेशी भाषा को राष्ट्रभाषा का विकल्प पराधीनता को स्वाधीनता का विकल्प बनाए रखना है। वे यह भी जानते थे कि अंग्रेज़ी की उपस्थिति में कोई भी देशी भाषा पनप नहीं सकती क्योंकि अपने ऐतिहासिक चरित्र के अनुरूप वह एक से दूसरी को पिटवाने का काम करती रहेगी।"[1]

लोहिया ने 'अंग्रेज़ी हटाओ' आन्दोलन चलाया था। इसके अंतर्गत इन्होंने देश की सभी जनता, विशेष कर सभी हिन्दीभाषी क्षेत्र की जनता से अंग्रेज़ी को हटाने के लिए आन्दोलन में शामिल होने का आह्वान किया था। लोहिया ने अपने इस आन्दोलन को बड़े स्तर पर चलाया था जिसके अंतर्गत ये कहते हैं कि "तारीख 6 अप्रैल के राष्ट्रीय सप्ताह को इस वर्ष 'अंग्रेज़ी हटाओ' सप्ताह के रूप में मनाना चाहिए। सारे देश में सभाएं करें और जुलूस निकालें और प्रतिज्ञा करें कि–'हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अंग्रेज़ी का सार्वजानिक इस्तेमाल हम खुद तो आज से ही बंद करते हैं और सरकारी स्तर पर भी हर शांतिपूर्ण तरीके से इसे बंद कराएंगे।' नामपटों पर से अंग्रेज़ी भाषा व अक्षर मिटाने के लिए सीढी, रंग व कुच्ची समेत अभियान करें। स्कूल, कॉलेजों में माध्यम विषयक नीति पर और अंग्रेज़ी को केवल ऐच्छिक विषय बनाने के लिए सबल आन्दोलन होने चाहिए। जहाँ अंग्रेज़ी दैनिकों के वर्तमान पाठक अपनी आदतों को, चाहे कितनी ही कम संख्या में क्यों न हों, बदलने को तैयार हों, वहाँ अंग्रेज़ी दैनिकों की होली जलाई जाए। अदालतों में व फैसलों में अंग्रेज़ी के प्रयोग का विरोध हो और जहाँ जनमत तैयार किया जा सके, वहाँ सामूहिक अडंगा डाला जाए....ऐसी दुकानों का बहिष्कार कराएं जो अपने नामपट से अंग्रेज़ी हटाने को तैयार नहीं हों।"[2] हिन्दी की विरोधी और दुश्मन अंग्रेज़ी को लेकर लोहिया की इस मुहीम को देख कर स्वतः ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इस भाषा और इसमें छुपे विभेदकारी और सामंती चरित्र के प्रति कितने आक्रामक थे। ये चाहते थे कि कम–से–कम हिन्दी–भाषी राज्यों में हिन्दी को कामकाज की भाषा के रूप में लागू किया जाय ताकि वहाँ की सामान्य जनता अपनी भाषा में प्रशासनिक कामों से खुद को जोड़ सके। लोहिया अपनी भाषा में कामकाज करने के लाभ और उसकी उत्पादकता को भलीभांति समझते थे। यही कारण है कि वे हिन्दी–भाषी राज्यों को विशेष कर हिन्दी भाषा को व्यवहार में लाने की अपील करते हैं। स्वयं रामविलास शर्मा जैसे भाषा के जानकार भी इस बात को लेकर सहमती प्रकट करते हैं कि हिन्दीभाषी प्रदेशों में हिन्दी के प्रचार–प्रसार का काम अत्यंत ही आवश्यक है। रामविलास शर्मा लिखते हैं– "...हिन्दी–भाषी प्रदेश में हिन्दी–प्रचार की आवश्यकता है, हिन्दी–प्रचार द्वारा शिक्षित जनों का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, उनके सामाजिक व्यवहार में, सांस्कृतिक जीवन में, शिक्षा–संस्थाओं के अंतर्गत उनकी कार्यवाही में अंग्रेज़ी की जगह हिन्दी को प्रतिष्ठित कराने की आवश्यकता है।"[3] गौरतलब है कि रामविलास शर्मा ने भाषा–विमर्श के अंतर्गत भाषा को जातीयता के साथ जोड़ कर देखा है। यही कारण है कि ये हिन्दी–भाषी राज्यों में हिन्दी–प्रचार के उद्देश्य को जातीयता के गठन से जोड़ कर देखते हैं। इनका यह भी मानना है कि हिन्दी–भाषी राज्यों में अपनी जातीयता की भावना को लेकर निष्ठा एवं एकता में कमी, उपेक्षा और अनभिज्ञता का भाव है। यही कारण है कि इन्हें कहना पड़ता है कि "जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की शासन–संस्थाओं में अमली रूप से हिन्दी राजभाषा नहीं बन जाती, तब तक समूचे देश में उसका राष्ट्रभाषा बनना स्वप्नवत ही रहेगा।"[4] हिन्दी–समर्थकों के विचारों को जब हम देखते हैं तब हमें एक समान रूप से यह चरित्र सभी में विद्यमान दिखलाई पड़ता है।

अंग्रेज़ी को हटाने को लेकर आन्दोलन छेड़ने वाले लोहिया की इसके पीछे एक व्यापक समझ और संवेदना दिखाई पड़ती है। गौरतलब है कि लोहिया समाजवादी राजनीति और विचारधारा से जुड़े हुए थे। वे सामाजिक न्याय के पक्षधर और समर्थक थे। ये समाज में फैली विसंगतियों को मिटा कर एक बराबरी और खुशहाली भरा समाज बनाना चाहते थे। जहाँ सभी को आधारभूत आवश्यकताएं मिल पाए। लोहिया इस लक्ष्य में अंग्रेज़ी भाषा के चलन को एक बाधा के रूप में देखते थे और यही कारण है कि इनके विचारों में अंग्रेज़ी भाषा को लेकर इतनी आक्रामकता दिखलाई पड़ती है। अंग्रेज़ी भाषा के व्यवहार में छुपे सामंती, अफसरशाही और बुर्जुआवादी चरित्र को देखते हैं जो एक तरह से समाज में भेदभाव और गैरबराबरी तथा शोषण की परम्परा को बरक़रार रखने में मदद करती है। आज जब आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी जब हम यह देखते हैं कि देश के प्रशासनिक ढांचे में आम जनता की कितनी भागीदारी है, तब स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती है।

लोहिया देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अंग्रेज़ी हटाओ आन्दोलन का केंद्र यहीं था। यही कारण है कि अंग्रेज़ी को हटाने के लिए इन्होंने इस प्रदेश में सबसे अधिक प्रयास किया। उत्तर प्रदेश शासन के काम–काज के सन्दर्भ को उल्लेखित करते हुए लोहिया लिखते हैं कि– "अभी तो हर सच्चा हिंदुस्तानी यही उम्मीद करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मान जाएगी कि 1. उसका कोई भी कामकाज अंग्रेज़ी में न होगा और न उसके अफसरों को छूट रहेगी कि हिन्दी न जानने पर उर्दू में अपना काम करें। दिल्ली को जो भी पत्र लिखे जाएंगे वे हिन्दी में रहेंगे, चाहे दिल्ली जिस किसी भाषा में लिखे; 2. हाई कोर्ट सहित सभी अदालतों में अंग्रेज़ी हटा दी जाए। जो न्यायाधिकारी हिन्दी में अभी अपना काम न कर सकें उन्हें उर्दू की छूट हो; 3. विश्वविद्यालय तक की सभी कक्षाओं के सभी विषयों के शिक्षण का माध्यम हिन्दी हो; 4. अंग्रेज़ी अख़बारों को सरकार अपने वर्गीकृत तथा अन्य विज्ञापन न दे; 5. तार और टेलीप्रिंटर से अंग्रेज़ी हटाने का ठोस कदम उठाया जाए।"[5] यहाँ इस बात की स्पष्टता देखने को मिलती है कि लोहिया के अन्दर अंग्रेज़ी का सिर्फ कोरा विरोध नहीं है बल्कि वे कई सकारात्मक और रचनात्मक सुझावों के साथ भी सामने आते हैं ताकि सरकार एवं संस्थाओं को हिन्दी के व्यवहार में अत्यधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। लोहिया हिन्दी के व्यवहार को स्थापित करने के लिए और भी कई सुझावों के साथ सामने आते हैं जो कि इस बात को पुख्ता करता है कि इनके अन्दर भाषा, भाषा–विज्ञान, भाषिक व्यवहार की व्यापक समझ थी।

लोहिया जब 'अंग्रेज़ी हटाओ' आन्दोलन को आगे बढ़ा रहे होते हैं तो इसके पीछे उन्हें अंग्रेज़ी के प्रयोग के दूरगामी प्रभावों का अंदाजा स्वाभाविक रूप से लग जाता है। वे जब देश में काम–काज और पठन–पाठन के रूप में अंग्रेज़ी के व्यवहार को देखते हैं तो उन्हें निराशा भी होती है और गुस्सा भी आता है। फिर ये कहते हैं कि "माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी के इस्तेमाल से आर्थिक मामलों में काम का नतीजा कम निकलता है, शिक्षा के मामले में ज्ञानार्जन कम होता है और खोज लगभग नहीं के बराबर होती है, प्रशासन में अक्षमता बढती है और गैरबराबरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।"[6] इनका अंग्रेज़ी को लेकर स्पष्ट मानना है कि "अंग्रेज़ी एक विदेशी भाषा है और राष्ट्रीय भाषा को चोट पहुँचाती है।"7 यही कारण है कि लोहिया अंग्रेज़ी भाषा को हटाने में क्षण भर की देरी भी बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं थे। वे इसको लेकर उत्तेजनापूर्ण तरीके से कहते हैं कि "...अंग्रेज़ी इसी क्षण हटनी चाहिए और उससे देश का कोई काम एक मिनट के लिए रुकने वाला नहीं है।"[8] लोहिया इस सन्दर्भ में पूरी तरह से आश्वस्त थे कि "अंग्रेज़ी के बिना हमारी वैज्ञानिक उन्नति न हो सकेगी, यह दलील थोथी है।"[9] इसमें और भी गहराई में जाते हुए

ये फिर ऐसे कई देशों का उदाहरण सामने रखते हैं जहाँ अंग्रेज़ी भाषा को पीछे छोड़ते हुए वहाँ की अपनी मातृभाषा को व्यवहार में लाया गया और इस प्रकार ऐसे देशों ने विकास के मामले में दुनिया के सामने एक ज्वलंत उदाहरण पेश किया। लोहिया अंग्रेज़ी हटाने को लेकर इतने उत्सुक थे कि इन्होंने यहाँ तक कहा कि "अगर सोशलिस्ट पार्टी की हुकूमत आ गई तो अंग्रेज़ी ख़त्म होगी ही।"[10] लोहिया जैसे नेता अंग्रेज़ी के जिन नकारात्मक प्रभावों के बारे में उस समय जनता, जनता के प्रतिनिधियों एवं नीति–निर्माताओं को चीख–चीख कर आगाह कर रहे थे, आज इन प्रभावों को हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम भारत की प्रशासनिक सेवाओं में अंग्रेज़ी के एकतरफा वर्चस्व के रूप में सामने रख सकते हैं। प्रति वर्ष 'संघ लोक सेवा आयोग' द्वारा लगभग 1000 पदों पर भर्तियाँ निकाली जाती हैं, पर इसमें हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों का चयन सिर्फ 50 की संख्या में होता है। इस एकमात्र उदाहरण से हिन्दी की दुर्दशा का भी अंदाजा लगाया जा सकता है और साथ–ही–साथ इस बात का भी कि लोहिया ने अंग्रेज़ी के जिस वर्चस्व की भविष्यवाणी की थी वह कितने क्रूरतम रूप में सही हुई है।

हिन्दी–आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में जब–जब भी अंग्रेज़ी हटाने का प्रश्न सामने आया तब–तब हिन्दी के विरोधियों की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अंग्रेज़ी को हटा कर हिन्दी समर्थक अन्य सभी भाषाओं पर हिन्दी का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। हिन्दी–आन्दोलन के दौरान हिन्दी–साम्राज्यवाद का आरोप कोई नई बात नहीं है। यह आरोप हिन्दी–आन्दोलन के दौरान नियमित रूप से लगते रहे हैं और यही कारण है कि कई गैरहिन्दी भाषी राज्यों के नेताओं ने हिन्दी के समर्थन में हिचक दिखाई। जबकि, हिन्दी का समर्थन करने वाले लगभग सभी हिन्दी समर्थको ने बार–बार यह स्पष्ट किया कि हिन्दी को सिर्फ अंग्रेज़ी से विरोध है और इसका यह मतलब कतई नहीं है कि इस देश में पूरी तरह से हिन्दी ही थोप दी जाए। लोहिया का मत भी कुछ ऐसा ही था। ये हिन्दी के साथ–साथ अन्य सभी भारतीय भाषाओं के विकास और उसकी समृद्धि के पक्ष में थे। वे यहाँ तक चाहते थे कि हिन्दी के साथ–साथ अन्य सभी भारतीय भाषाओं को एक साथ मिल कर अंग्रेज़ी के वर्चस्व के खिलाफ लड़ना होगा। रामविलास शर्मा जैसे भाषा वैज्ञानिक भी यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि "हम नहीं चाहते कि कोई एक भाषा अंग्रेज़ी की जगह ले। विदेशी साम्राज्यवाद ने हमारे ऊपर अंग्रेज़ी लादी थी। हम नहीं चाहते कि किसी भारतीय भाषा के पूर्ण विकास पर कोई देशी साम्राज्यवादी रोक लगाएं।"[11] यह कहने के बाद रामविलास शर्मा यह भी कहते हैं कि "विभिन्न भारतीय भाषाओं के अधिकारों को इस समय पददलित कर रही है अंग्रेज़ी, न कि हिन्दी।"[12]

इस प्रकार, डॉ. राममनोहर लोहिया ने 'अंग्रेज़ी हटाओ' आन्दोलन के माध्यम से इस बात को व्यापकता के साथ स्थापित किया कि अपनी भाषा/भाषाओं को छोड़ कर अगर उपनिवेशी भाषा/भाषाओं को अगर अपनी अभिव्यक्ति और व्यवहार के रूप में प्रयोग में लाया गया तो इस देश में कभी भी समानता और एकता स्थापित नहीं होगी। आज के सन्दर्भ में अंग्रेज़ी ने इस देश में समानता और एकता स्थापित करने में जो रूकावट डाली है, उसे स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। यह देखना अत्यंत ही विडम्बनापूर्ण है कि देश में सबसे अधिक बोली, लिखी और समझी जाने वाली भाषा को इस अंग्रेज़ी भाषा ने कितना नीचे गिरा दिया है।

सन्दर्भ सूची

1. क्षोत्रिय, प्रभाकर, हिन्दी– दशा और दिशा, दिल्ली, हिमाचल पुस्तक भंडार, 1995, पृष्ठ 15
2. लोहिया, डॉ. राममनोहर, अंग्रेज़ी हटाना, हिन्दी लाना नहीं, राममनोहर लोहिया रचनावली, भाग–1, सम्पादक मस्तराम कपूर, नई दिल्ली, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2008, पृष्ठ 409
3. शर्मा, रामविलास, भारत की भाषा–समस्या, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 2003, पृष्ठ 170
4. वही
5. लोहिया, डॉ. राममनोहर, उत्तर प्रदेश में हिन्दी, राममनोहर लोहिया रचनावली, भाग–1, सम्पादक मस्तराम कपूर, नई दिल्ली, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2008, पृष्ठ 392
6. लोहिया, डॉ. राममनोहर, हिन्दी–अंग्रेज़ी, राममनोहर लोहिया रचनावली, भाग–1, सम्पादक मस्तराम कपूर, नई दिल्ली, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2008, पृष्ठ 373
7. वही
8. लोहिया, डॉ. राममनोहर, वैज्ञानिक तरक्की – सूरज चूल्हा, राममनोहर लोहिया रचनावली, भाग–1, सम्पादक मस्तराम कपूर, नई दिल्ली, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2008, पृष्ठ 465
9. वही
10. लोहिया, डॉ. राममनोहर, देशी भाषाओं का झगडा नहीं, राममनोहर लोहिया रचनावली, भाग–1, सम्पादक मस्तराम कपूर, नई दिल्ली, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, 2008, पृष्ठ 407
11. शर्मा, रामविलास, भाषा की समस्या, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 2003 (तृतीय संस्करण), पृष्ठ 72
12. वही, पृष्ठ 159